

प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2025

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जनपद गोण्डा के समस्त थाना क्षेत्रों पर हुआ "बहू-बेटी सम्मेलन" का आयोजन, महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए पुलिस टीमों ने किया संवाद

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत आज दिनांक 14.10.2025 को जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में "बहू-बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर संबंधित थानों के थानाध्यक्षों एवं महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की महिलाओं, युवतियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह को महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बहू-बेटियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल महिला हेल्पलाइन 1090, डायल-112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। साथ ही थाना स्तर पर स्थापित "महिला सहायता प्रकोष्ठ" से भी सीधे सहायता प्राप्त की जा सकती है। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा के उपाय, साइबर क्राइम से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सावधानी तथा कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त उपस्थित महिलाओं से उनके क्षेत्र में हो रही समस्याओं, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक चुनौतियों के संबंध में संवाद स्थापित किया गया। साथ ही बताया गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिए लगातार सुरक्षा वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे हर महिला सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आमजन मानस को यह संदेश दिया गया कि

"महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज की बहू-बेटियाँ हमारी शक्ति हैं। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को न केवल सुरक्षित रखना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सजग नागरिक के रूप में सशक्त बनाना भी है।"

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस लाइन परिसर में बहुमंजिला आवास निर्माण परियोजना का भूमि पूजन कर किया गया शुभारंभ—

गोण्डा। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन गोण्डा में शासन द्वारा स्वीकृत बहुमंजिला आवास निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने परियोजना के उद्देश्य, निर्माण की गुणवत्ता तथा समयबद्ध पूर्णता के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। यह परियोजना उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग संस्था द्वारा चिन्मय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, लखनऊ के माध्यम से कराया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पुलिस लाइन में ग्राउंड फ्लोर सहित कुल 12 मंजिलों के 04 टावरों का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक फ्लोर पर 04 आवासीय कमरे निर्मित किए जाएंगे, इस प्रकार कुल 192 आवास (1 बीएचके) का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹37 करोड़ 92 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि इस आवास निर्माण परियोजना से पुलिस कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें कार्य के दौरान सुविधा, सुरक्षा एवं स्थायित्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आवासीय सुविधा का सीधा प्रभाव पुलिस कर्मियों के कार्य के प्रति समर्पण, मनोबल और कार्यकुशलता पर पड़ेगा, जिससे जनसेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए टावरों की रूपरेखा, डिजाइन एवं आवासीय व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी ली गई तथा अधिकारियों को निर्माण कार्य की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा नारी ज्ञान स्थली गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं को किया गया जागरूक, नारी सशक्तिकरण की दिशा में गोण्डा पुलिस की प्रेरणादायक पहल

आज दिनांक 14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत नारी ज्ञान स्थली गर्ल्स डिग्री कॉलेज, गोण्डा में पहुंचकर छात्राओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनपद की बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर, सजग तथा सशक्त बनाना था। कार्यक्रम के दौरान महोदय द्वारा छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि "मिशन शक्ति" महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का प्रतीक है। समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। इसलिए प्रत्येक बालिका का आत्मविश्वासी और शिक्षित होना आवश्यक है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, महिला समूहों एवं ग्राम सभाओं में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, हेल्पलाइन सेवाओं, आत्मरक्षा के उपायों और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करना। महोदय द्वारा छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं सीएम हेल्पलाइन 181 जैसी उपयोगी सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में इनका उपयोग करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाया जा रहा एक सशक्त सामाजिक अभियान है। महोदय द्वारा छात्राओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में सचेत किया गया। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक अकाउंट, अशोभनीय मैसेज, और फोटो के दुरुपयोग जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर छात्रा को सावधान रहना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सम्बन्धित थाने या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने बालिकाओं को समझाया कि मिशन शक्ति का सबसे सशक्त पहलू "खुद पर विश्वास" है जब प्रत्येक बालिका आत्मविश्वासी होगी, तभी समाज सुरक्षित होगा। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं के बीच मिशन शक्ति जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उपयोगी जानकारी, हेल्पलाइन नंबर, आत्मरक्षा सुझाव, और पुलिस से संपर्क करने के सरल माध्यम अंकित थे।

प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2025

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय की छात्राओं को किया गया जागरूक, नारी सशक्तिकरण की दिशा में गोण्डा पुलिस की प्रेरणादायक पहल

गोण्डा। आज दिनांक 14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय गोण्डा में छात्राओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनपद की बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर, सजग और सशक्त बनाना था। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि—

“मिशन शक्ति महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का प्रतीक है। समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना विकास अधूरा है, इसलिए प्रत्येक बालिका का आत्मविश्वासी और शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है।” उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद गोण्डा में पुलिस विभाग द्वारा लगातार विभिन्न स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवनों, महिला समूहों और ग्राम सभाओं में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, हेल्पलाइन सेवाओं, आत्मरक्षा उपायों तथा डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। महोदय द्वारा छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस सेवा 108, तथा सीएम हेल्पलाइन 181 जैसी उपयोगी सेवाओं की जानकारी दी गई और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में इनका तत्काल उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। महोदय द्वारा छात्राओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि— “डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक अकाउंट, अशोभनीय संदेश एवं फोटो के दुरुपयोग जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं, इसलिए प्रत्येक छात्रा को सावधान रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें एवं किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित थाने या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।” कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की एवं अनेक प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधीक्षक महोदय ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। महोदय द्वारा बताया गया कि “मिशन शक्ति का सबसे सशक्त पहलू ‘खुद पर विश्वास’ है। जब प्रत्येक बालिका आत्मविश्वासी होगी, तभी समाज वास्तव में सुरक्षित और सशक्त बन सकेगा।” कार्यक्रम के अंत में छात्राओं के बीच मिशन शक्ति जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, हेल्पलाइन नंबर, आत्मरक्षा के सुझाव और पुलिस से संपर्क करने के सरल माध्यमों का विवरण अंकित था।

इस अवसर पर को0 नगर की एण्टीरोमियों टीम, कालेज की प्रवक्ता मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत को0 कर्नलगंज में बने नवनिर्मित परिवार परामर्श केन्द्र व मिशन शक्ति केन्द्र का किया गया लोकार्पण-

आज दिनांक 14.10.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीज जायसवाल द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत को0 कर्नलगंज में नवनिर्मित परिवार परामर्श केन्द्र व मिशन शक्ति केन्द्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में महिलाओं और परिवारों को सामाजिक, कानूनी और मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं। केन्द्र में कम्प्यूटर सिस्टम, टेबल, कुर्सी, वाटर डिस्पेंसर जैसी सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित कर्मी तैनात रहेंगे। यहाँ आने वाले नागरिकों को परामर्श, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे घरेलू हिंसा, बाल अधिकार, महिला सुरक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। इस अवसर पर महोदय द्वारा थाने में बने मिशन शक्ति रजिस्टर का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति केन्द्र समाज में महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने तथा उनके शिकायत निवारण में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। महोदय द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र में तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों में सहानुभूति, सतर्कता और त्वरित निवारण के प्रति सजग रहें। इसके साथ ही मिशन शक्ति केन्द्र में आने वाली शिकायतों का रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से रखा जाए और सभी मामलों में गोपनीयता सुनिश्चित की जाए। महोदय ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा यह कदम मिशन शक्ति 5.0 के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य न केवल महिला और बाल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज राजेश कुमार सिंह एवं प्र0नि0 कर्नलगंज सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03-03 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रू0 12,000-12,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.07.2020 को वादी धनश्याम निषाद पुत्र मनिराम निषाद नि0 ग्राम ऊंचेपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते गाली-गुप्ता देते हुए लाठी डण्डों से मारा-पीटा है। मार-पीट के दौरान मेरे भाई त्रिलोकीनाथ के सिर में गम्भीर चोट आयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में 04 नामजद आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 19.10.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में लोक अभियोजक श्री अवनीश धर द्विवेदी, कोर्ट मोहर्रिर व थाना नवाबगंज के पैरोकार का0 अरुण कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 14.10.2025 को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-04 महोदया नम्रता अग्रवाल द्वारा 04 अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 12,000-12,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. कौशल कुमार निषाद पुत्र प्रेमचन्द नि0 ग्राम ऊंचेपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. सत्यनारायण पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम ऊंचेपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. बैजनाथ पुत्र ओम बाबू नि0 ग्राम ऊंचेपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. रामनाथ पुत्र ओम बाबू नि0 ग्राम ऊंचेपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-349/2020, धारा 308,323,504 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।